

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

क्रमांक एफ.1(ई)(160)स्था./डीटीए/ 363

दिनांक : 02/02/2021

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 8(1)वित्त/राजस्व/21 दिनांक 27.01.2021 की अनुपालना में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) के तहत निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर में निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक (कोष), कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर को राज्य लोक सूचना अधिकारी एतद द्वारा नियुक्त किया जाता है।

आदित्य देव कविया
(आदित्य देव कविया)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक एफ.1(ई)(160)स्था./डीटीए/ 364-71

दिनांक : 02/02/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक कार्मिक-I/II/III/कोष एवं बजट।
4. संयुक्त निदेशक, कोष/प्रशासन।
5. उप विधि परामर्शी।
6. उप निदेशक, जॉच/अल्प बचत।
7. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी सचिव निदेशक महोदय।

आदित्य देव कविया
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)